प्रेस नोट
दिनांक 04.06.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा सरकारी केबिल ड्रम चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण, 06 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 120 केवी केबिल का ड्रम मय वाहन बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–181/25, धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 अभियुक्तों–01. राशिद पुत्र आशक अली, 02. इस्माइल पुत्र सलामत, 03. विजय पुत्र भगवानदीन, 04. मकदुम पुत्र खैरुद्दीन, 05. नाजिर पुत्र अब्दुल हसन, 06. अमन पुत्र मेंहदी हसन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 120 केवी का केबिल ड्रम व इंट्रा वी–20 वाहन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 03.06.2025 को वादी सुनील कुमार दूबे पुत्र स्व0 गंगाप्रसाद पाण्डेय नि0 सुभागपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी एनसीसी का वेण्डर है जो ठेके पर विद्युत अनुरक्षण का कार्य कराता है। परसपुर ब्लॉक में कार्य हेतु एक स्टोर बलमत्थर बैंक के पास मेन रोड पर निरंकार दूबे के मकान में बनाया गया है। दिनांक 01.06.2025 को कार्य के पश्चात एक भारी 120 केबिल का ड्रम (ड्रम नंबर 5527) ट्राली पर छोड़ दिया गया था। दिनांक 02.06.2025 को रात लगभग 03:28 बजे मकटुम नामक कर्मचारी द्वारा सूचना मिली कि केबिल ड्रम चोरी हो गया है। वादी की तहरीर पर थाना परसपुर मं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 04.06.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 06 आरोपी अभियुक्तों–01. राशिद पुत्र आशक अली, 02. इस्माइल पुत्र सलामत, 03. विजय पुत्र भगवानदीन, 04. मकदुम पुत्र खैरुद्दीन, 05. नाजिर पुत्र अब्दुल हसन, 06. अमन पुत्र मेंहदी हसन को ग्राम बलमत्थर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया कि वे सभी लोग विद्युत विभाग में ठेके पर केबिल लगाने का कार्य करते हैं। दिनांक 01.06.2025 को पूर्व नियोजित तरीके से कार्यस्थल पर 120 केवी का नया केबिल ड्रम पहुंचने के पश्चात जानबूझकर कार्य नहीं किया गया और उसी रात उक्त केबिल ट्राली सहित स्टोर के पास खड़ा कर दिया गया। ठेकेदार एवं अन्य कर्मचारियों के चले जाने के बाद सभी अभियुक्तों ने मिलकर केबिल ड्रम को चोरी कर लिया और उसे गोण्डा ले जाकर गायत्रीपुरम निवासी अशोक व ऋषभ को सौंप दिया। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उनके पुराने परिचित अशोक पुत्र सीताराम एवं ऋषभ पुत्र अशोक निवासी गायत्रीपुरम, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा के साथ पहले भी केबिल चोरी कर उसे बेचने की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगणों विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. राशिद पुत्र आशक अली उम्र करीब 38 वर्ष निवासी गोविन्दपुर खुर्द थाना मुंडा पाण्डेय जिला मुरादाबाद
2. इस्माइल पुत्र सलामत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मिलक भोजपुर आशा थाना मुंडा पाण्डेय जिला मुरादाबाद
3. विजय पुत्र भगवानदीन उम्र करीब 36 वर्ष निवासी बरौला गांव थाना मोरावा जिला उन्नाव
4. मकदुम पुत्र खैरुद्दीन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी गोविन्दपुर खुर्द थाना मुंडा पाण्डेय जिला मुरादाबाद
5. नाजिर पुत्र अब्दुल हसन उम्र करीब 23 वर्ष निवासी गोविन्दपुर खुर्द थाना मुंडा पाण्डेय जिला मुरादाबाद

6. अमन पुत्र मेंहदी हसन उम्र करीब 20 वर्ष निवासी सहसपुर थाना वेलारी जिला मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–181/25, धारा 303(2),317(2),317(4),238 बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

1. 120 केवी का केबिल टूटा ड्रम व पेंट का डब्बा व कपड़ा
2. वाहन इनट्रा वी–20 गाड़ी

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अमित कुमार गुप्ता।
02. उ0नि0 रविप्रकाश यादव।
03. उ0नि0 सौरभ वर्मा।
04. का0 राजेश यादव।
05. का0 निशान्त सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 04.06.2025</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से 02 हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व रूपये 20,000—20,000/— के अर्थदण्ड की सजा—

घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक 04.01.2020 को वादी अजय कुमार शुक्ला पुत्र राधेश्याम शुक्ला नि0 ग्राम मध्यनगरा मोकलपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना को0 देहात में मु0अ0सं0—498ए,304बी भादवि 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 02 नामजद अभियुक्तों—01. देवशरण पाण्डेय, 02. सतीश पाण्डेय के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें को0 देहात पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 15.03.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण—
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोशी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को थाना को0 देहात में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अवनीश धर द्विवेदी, थाना को0 देहात के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश महोदय नम्रता अग्रवाल द्वारा 02 अभियुक्तों—01. सतीश कुमार पाण्डेय, 02. देव शरण पाण्डेय को वैकल्पिक धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए को अजीवन कारावास व रू0 20,000—20,000/— के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता—
01. सतीश कुमार पाण्डेय पुत्र भुसौली पाण्डेय नि0 पूरे उदई थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. देवशरण पाण्डेय पुत्र सतीश कुमार पाण्डेय नि0 पूरे उदई थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण—
01. मु0अ0सं0—04/2020 धारा 498ए,304बी भादवि 3/4 डी0पी0 एक्ट वैकल्पिक धारा 302 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>